



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800, 014

संख्या-व.सं./82/2017-703

प्रेषक,

राकेश कुमार भा0ब0से0
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
 बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक- 20/08/2020

विषय - गया जिलान्तर्गत ढुंगेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.64 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/21665/2016/3568 दिनांक 07.11.2019

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के पत्रांक 809/20 दिनांक 09.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है-

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 07.11.2019 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Compensatory afforestation: The State Government shall plant 1830 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. Indigenous tree species should be preferred for such plantation. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1830 पौधों के रोपण मद की कुल राशि रु० 21,23,320/- (रु० इक्कीस लाख तैईस हजार तीन सौ बीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।

3 a	NPV: The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 556 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2020 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.64 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 4,00,640/- (रु० चार लाख छः सौ चालीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
b	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।
4 a	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि वृक्षों का पातन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के देख-रेख में किया जायेगा।
b	In view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, but whose translocation (number, girth and species to be decided by SFD) is practicable using modern technology or otherwise, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.	Translocation हेतु चिन्हित वृक्षों को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर Translocation कराया जायेगा।
5	User Agency should ensure that the Compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the State-I clearance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद कि कुल राशि रु० 25,23,960/- (रु० पच्चीस लाख तैईस हजार नौ सौ साठ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. HDFCR52020060983052429 दिनांक 09.06.2020 एवं राशियाँ Ministry website पर प्रदर्शित है।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

7	The height of the ropeways should be maintained with minimum clearance of 5 meters from the highest tree.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concret pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads segment covered under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
10 a	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में मजदूरों एवं अन्य कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
b	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में नियोजित मजदूर एवं Working staff को LPG अथवा अन्य ईंधन सुविधा दी जायेगी जिससे नियोजित कर्मी निकट के वन को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
c	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि रोपवें निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेगा और न ही कचरे आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।
11	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of the project life. (existence of the road)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।
13 a	The forest land under diversion shall not be used for any purposed other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।

b	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of Govt. of India	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
14	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29.01.2018	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।
15	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियम का पालन किया जायेगा।
16	The compliance report shall be uploaded on e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन Ministry website पर uploaded कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.64 हे० सुरक्षित वन घोषित भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- संख्या-व.सं./82/2017-703

दिनांक- 20/08/2020

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Gaya/ Forest Division Gaya				
3	Name of User Agency nature of proposal	The Executive Engineer, Bihar State Tourism Development Corporation Ltd, Patna				
4	Extent of forest area involved	0.64 ha				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA				
7	Date of 1st stage Clearance	07.11.2019				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	21,23,320/-				
	b. Additional CA					
	c. Penal NPV					
	d. Catchment Area Treatment					
	e. Wildlife Management Plan					
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas					
	g. Net present Value	4,00,640/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)					
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	S. No	MODE Remtt.	Application No. and Dated	Amount	Head
		1	RTGS	HDFCR52020060983052429 dt.09.06.2020	4,00,640/-	NPV
					21,23,320/-	CA
				TOTAL	25,23,960/-	
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 09.06.2020				
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 09.06.2020				
12	Any other remarks					


 Signature of APCCF (CAMPA),
 -Cum-Nodal Officer (FC)